कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 22 / 2022

श्री वीरीसिह कुन्तल विजय नगर कालौनी गली नं. 2 सारस सर्किल भरतपुर।

........अपीलार्थी

बनाम

सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर।

..........रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश दिनांक 21.04.2022

अपीलार्थी श्री वीरीसिंह कुन्तल विजय नगर कालौनी गली नं. 2 सारस सर्किल भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सचिव, नगर विकास न्यास ,भरतपुर के खिलाफ प्राप्त हुई है। प्रार्थी / अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 31.01.2022 से सचिव नगर विकास न्यास, भरतपुर से सूचना चाही गई थी। सचिव नगर विकास न्यास, भरतपुर द्वारा प्रार्थी / अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 22 / 186 दिनांक 29.03.2022 के द्वारा सचिव, नगर विकास न्याय, भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। सचिव नगर विकास न्यास, भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक / सूअ / 2022 / 2127 दिनांक 18.04.2022 प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई प्रार्थना पत्र में मांगी गई सूचना उसे नहीं दी गई है, चाही गई सूचना दिलाई जावे। सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक / सूअ / 2022 / 2127 दिनांक 18.04.2022 का अवलोकन किया गया। जबाब में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के सम्बन्ध में आवेदक को दिनांक 28.12.2021 को सूचना का अवलोकन करा दिया गया था। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना का निर्धारित शुल्क जमा कराने

..........2

के बाद प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करा दी गई थी। परन्तु वीरीसिंह कुन्तल द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 03.03.2022 में आपके कार्यालय के रिकॉर्ड अवलोकन के पश्चात दिनांक 31.01.2022 को कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड की सूचना दिये जाने हेतु अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया था। अपीलार्थी का कथन है कि प्रार्थना पत्र दिनांक 31.01.2022 के अनुसार उसे सूचना आदिनांक तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। प्रार्थी अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 31.01.02022 के सम्बन्ध में न्यास द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी द्वारा न्यास के रिकार्ड अवलोकन के पश्चात सूचना प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र दिया गया था। उसकी कोई सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं कराई गई है। ऐसी स्थिति मे अपील स्वीकार की जाकर सचिव नगर विकास न्यास भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 31.01.22 में चाही गई सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जावें। सूचना लगने वाला शुल्क सम्बन्धित दोषी कार्मिक से बसूल किया जाकर राजकोष में जमा कराया जावें। निर्णय की प्रति सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर को (अपील की प्रति संलग्न कर) पालनार्थ प्रेषित की जावें। निर्णय की प्रति सूचनार्थ अपीलार्थी को प्रेषित की जावें।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर, भरतपुर